भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1029
दिनांक 18 सितंबर, 2020 को उत्तर के लिए

आश्रय गृहों में महिला संरक्षण

1029. श्रीमती नवनीत रवि राणाः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आश्रय गृह से सूचित किए गए अपराधों में वृद्धि पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित/उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि आश्रय गृहों की गतिविधियों में बहुत कम पारदर्शिता और शायद ही कोई निगरानी है;
(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने हैं;
(घ) क्या यह भी सरकार के संज्ञान में आया है कि उनका न केवल यौन शोषण होता है बल्कि भोजन देने से इंकार, मौखिक दुर्व्यवहार, शारीरिक दंड और उत्पीड़न के अन्य रूप भी शामिल हैं; और
(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जानी है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ड.) : सरकार आश्रय गृहों में महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण से अवगत है। स्वाधार गृह तथा उज्ज्वला स्कीमों में जिला, राज्य एवं केंद्रीय स्तरों पर तीन स्तरीय निगरानी तंत्र का प्रावधान है। भोजन न देना, मौखिक दुर्व्यवहार, शारीरिक दंड तथा प्रबंधन के सदस्यों एवं स्टाफ द्वारा अन्य प्रकार का उत्पीड़न सहित गैर कानूनी गतिविधियों से अनुदान बंद कर दिया जाता है और आपराधिक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर कार्यान्वयन एजेंसी को काली सूची में डाल दिया जाता है।

****